कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्ररूप–5

(नियम 9 (7) देखिए)

कालोनी विकास की अनुमति

अनुज्ञा क्रमांक–105

दिनांक–12/06/18

प्र0क्र0 67/अ–74/2017–18

मध्यप्रदेश पंचायत राज एव् ग्राम स्वराज अधिनियम,1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए ''मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम **देवगुराडिया** तहसील संयागितागंज, जिला इन्दौर में आवासीय मल्टीफ्लेटेड ड्वेलिंग युनिट विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है:–

श्री/श्रीमती – **श्रीमती नीना देवी अग्रवाल पति श्री विनोद कुमार अग्रवाल,**

निवासी – **अग्रवाल हाउस, सेकेण्ड फ्लोर, 5 यशवंत कॉलोनी, इन्दौर** को

ग्राम एवं भूमि सर्वे नम्बर– ग्राम **देवगुराडिया, तह. व जिला** इन्दौर की

भूमि सर्वे नं. 118/2, कुल रकबा 0.526 हेक्टैयर भूमि पर

निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए कालोनी विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है:–

1– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (20 सन् 1959) के उपबंधो के अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिए लागू शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा।

2– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु अनुज्ञा के अधीन लागू शर्तो का पालन करना होगा।

3– विकास/निर्माण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो तथा निम्न आय समूहों के लिए भूखण्डों/भवनों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

4– नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तो का पालन करना होगा।

5– नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के स्थल मानचित्र स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्त अनुसार वन एवं पर्यावरण द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पर्यावरण स्वीकृति एवं अन्य उल्लेखित अनुमतियाँ ली जाना अनिवार्य होगा।

6– आवेदित भूमि के समीपस्थ भूमि या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं विकास कार्य नहीं किया जावेगा।

7– कालोनी का विकास कार्य तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

8– कालोनी विकास पेटे धरोहर के रूप में यूनिट क्रमांक 107 से 109(3), 205 से 210(6), 301 से 308(8), 401 से 408(8), 501 से 508(8) तथा 601 से 607(7) कुल 40 यूनिट बंधक रखे जाते है। उक्त फ्लेट/यूनिट को इस कार्यालय की सक्षम अनुमति के बगैर विक्रय नहीं किया जावेगा।

(निशांत वरवड़े)

कलेक्टर

सक्षम प्राधिकारी,

जिला इंदौर (म.प्र.)

जिला इंदौर

पृष्ठांकन क्रमांक / 703 / करी / 18 इंदौर, दिनांक 19 जून 2018

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– अनुविभागीय अधिकारी, संयोगितागंज क्षेत्र, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– उप पंजीयक, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4– श्रीमती नीना देवी पति विनोद कुमार अग्रवाल, निवासी अग्रवाल हाउस, व्दितीय मंजिल, 5 यशवंत कॉलोनी, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला इंदौर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

इन्दौर, दिनांक जून 2018

क्रमांक / / करी / 2018

प्रति,

जिला पंजीयक,
पंजीयन विभाग
मोती तबेला इंदौर

विषयः— श्रीमती नीना देवी पति विनोद अग्रवाल को कालोनी विकास अनुमति अन्तर्गत धरोहर के रूप में बंधक रखे गये मल्टी फ्लेटेड युनिट की रजिस्ट्री नही करने बाबद।

—0—

विषयांतर्गत आवेदक श्रीमती नीना देवी अग्रवाल पति श्री विनोद कुमार अग्रवाल, निवासी अग्रवाल हाउस, सेकेण्ड फ्लोर, 5 यशवंत कॉलोनी, इन्दौर की भूमि सर्वे नं. 118/2 रकबा 0.526, हेक्टैयर पर आवासीय मल्टीफ्लेटेड ड्वेलिंग युनिट विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

उक्त कालोनी में आवेदक व्दारा यूनिट क्रमांक 107 से 109(3), 205 से 210(6), 301 से 308(8), 401 से 408(8), 501 से 508(8) तथा 601 से 607(7) कुल 40 यूनिट बंधक रखे गये है। जिसकी मार्डगेज डीड का पंजीयन उप पंजीयक, —2 जिला इन्दौर के कार्यालय में दिनांक 01.06.2018 को किया गया है। अतः उपरोक्त भूखण्ड की खरीदी, बिक्री व रजिस्ट्री आगामी आदेश तक बिना समक्ष अनुमति के नही की जावे।

Sd/-
(निशांत वरवड़े)
कलेक्टर
जिला इंदौर
कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

इंदौर, दिनांक 19 जून 2018

पृष्ठांकन क्रमांक 7057 करी / 18

प्रतिलिपिः—

1— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2— अनुविभागीय अधिकारी, संयोगितागंज, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3— उप पंजीयक, इन्दौर—2 जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4— आवेदक श्रीमती नीना देवी अग्रवाल पति श्री विनोद कुमार अग्रवाल, निवासी अग्रवाल हाउस, सेकेण्ड फ्लोर, 5 यशवंत कॉलोनी, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला इंदौर
कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक–706/करी/2018 इन्दौर, दिनांक 19/06/18

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पंचायत राज एव् ग्राम स्वराज अधिनियम,1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए ''मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित आवासीय कालोनी को इस कार्यालय व्दारा विकास अनुमति प्रदान की गई हैः–

अ0 क्र0	कालोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिए विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखण्डो का विवरण
1	2	3	4
	श्रीमती नीना देवी अग्रवाल पति श्री विनोद कुमार अग्रवाल, निवासी अग्रवाल हाउस, सेकेण्ड फ्लोर, 5 यशवंत कॉलोनी, इन्दौर	ग्राम देवगुराडिया, तह. इन्दौर की भूमि सर्वे नं. 118/2 रकबा 0.526 हेक्टैयर	यूनिट क्रमांक 107 से 109(3), 205 से 210(6), 301 से 308(8), 401 से 408(8), 501 से 508(8) तथा 601 से 607(7) कुल 40 यूनिट

उपरोक्त कालम नंबर–4 में उल्लेखित यूनिट इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त यूनिट का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावे। उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त की जा सकती है।

Sd/–
(निशांत वरवड़े)
कलेक्टर
जिला इन्दौर

कलेक्टर
जिला इन्दौर (म. प्र.)

प्रतिलिपि –

आवेदक श्रीमती नीना देवी अग्रवाल पति श्री विनोद कुमार अग्रवाल, निवासी अग्रवाल हाउस, सेकेण्ड फ्लोर, 5 यशवंत कॉलोनी, इन्दौर की ओर उक्त विज्ञप्ति का सर्वाधिक प्रकाशित दो समाचार पत्रों में किया जाकर प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

कलेक्टर
जिला इन्दौर

कलेक्टर
जिला इन्दौर (म. प्र.)